

	<p>(न) "अनुसूची" से इस विनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;</p> <p>(प) "धारा" से विनियम की धारा अभिप्रेत है;</p> <p>(फ) "कर" से इस विनियम के तहत उद्घरण योग्य कर, उपकर, दर अथवा अन्य आयात अभिप्रेत है;</p> <p>(ब) "संघ राज्य क्षेत्र" से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;</p> <p>(म) "ग्राम" से इस विनियम के प्रयोजन हेतु प्रशासक द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट जिला के गाँव अभिप्रेत है जिसमें इस प्रकार से विनिर्दिष्ट गाँवों का समूह भी शामिल है;</p> <p>(म) "ग्राम परिषद" से धारा 11 के तहत गठित ग्राम परिषद अभिप्रेत है;</p>	
	<p><b>अध्याय – II</b> <b>ग्राम साधारण निकाय</b></p>	
	<p>3. प्रशासक अधिसूचना के माध्यम से सरकारी राजपत्र में धारा 2 की उप धारा (V) के तहत प्रत्येक गाँव अथवा गाँवों के समूहों के लिए ग्राम साधारण निकाय गठित करेगा ।</p>	<p>ग्राम साधारण निकाय का गठन</p>
	<p>4. (1) ग्राम साधारण निकाय में ग्राम परिषद के क्षेत्र के भीतर आने वाले गाँव अथवा गाँवों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत निकोबारी जनजातीय शामिल होते हैं;</p> <p>बशर्ते कि निकोबारी जनजाति साधारण निकाय के सदस्य होने के लिए निम्न अयोग्यता न रखते हों –</p> <p>(क) भारत का नागरिक न हों;</p> <p>(ख) आयु अठारह वर्ष से कम हों;</p> <p>(ग) मानसिक रूप से स्वस्थ न हों और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; और</p> <p>(घ) सामान्यतः गाँव जिसके लिए ग्राम साधारण निकाय गठित किया गया है उसके दायरे के भीतर निवास न करता हो ।</p> <p>(2) एक व्यक्ति को साधारणतः उस ग्राम का वारी समझा जाए साधारणतः जहाँ वह रह रहा हो अथवा वहाँ एक आवास गृह उसके आधिपत्य में आवास योग्य पूरी तरह तैयार है ।</p>	<p>ग्राम साधारण निकाय का गठन</p>